

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण संख्या 24/2016 वाद



नानुराम

// / बनाम //

काशीराम व अन्य

दावा धारा 53, 88, 188 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 06.11.2017

वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई। वादी ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वे अपने वाद में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अपने वाद को इसी स्टेज पर विद्धा कर खारिज कराना चाहते हैं। वादी का वाद विद्धा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद इसी स्टेज पर विद्धा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा